संख्याः २४५८ / चौबीस–पी–3–2017–सा (139) / 17

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग– 3 लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2017

विषयः उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के अन्तर्गत छूट दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह अवगत कराना है कि नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के अनुच्छेद 8.6 की सारिणी 1 के बिन्दु संख्या–5 में निम्नवत् प्राविधान किया गया है :–

"Will be made available by the State Government at concessional rate (Rate of subsidy will be Rs 4/Unit upto 30000 units per month)"

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी की गयी वर्तमान नीति, 2017 के परिप्रेक्ष्य में इस नीति के अन्तर्गत आने वाले हवाई अड्डों से संबंधित विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता को इस आशय के निर्देश निर्गत कर दिये जायें कि वे संबंधित हवाई अड्डों द्वारा उपभोग की गयी बिजली के मद में भुगतान की गयी धनराशि की प्रतिमाह सूचना/स्थिति निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध करा दें ताकि नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा संबंधित संस्थाओं को जो भी छूट प्रदान की जानी है, इस संबंध में वे अपने स्तर से निर्णय लेते हुए तद्नुसार इस संबंध में संबंधित संस्था को छूट दिये जाने/भुगतान किये जाने संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कर सकें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः /चौबीस–पी–3–2017–सा (139)/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन अनुभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या–61 /2017/1230/छप्पन–2017–52/2017, दिनांक 24 अगस्त, 2017 के अनुक्रम में।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यान्चल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ एवं आगरा एवं कैस्को, कानपुर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(महावीर प्रसाद गौतम)
अनु सचिव।

mycomputer/d:drive.mm/letter